

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
मंत्रालय  
महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

क्रमांक एफ- 1-08/2015/सात-3

अटल नगर, रायपुर दिनांक 01/01/2019

**पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा-2019 हेतु विज्ञापन**

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-08/2015/सात-3, नया रायपुर, दिनांक 31.07.2018 के अनुसार राज्य के 14 जिलों में पटवारी प्रशिक्षण हेतु 250 अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए संबंधित जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर की वेबसाइट [cgvyapam.choice.gov.in](http://cgvyapam.choice.gov.in) पर दिनांक 11.01.2019 से आमंत्रित किये जाते है। कोई भी अभ्यर्थी केवल उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन कर सकेगा, जिस जिले का वह स्थानीय निवासी हो। इस प्रयोजन हेतु आवेदक को उसी जिले का स्थानीय निवासी माना जावेगा, जिस जिले का उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक को जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में किया गया हो।

**2. परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है -**

1. परीक्षा की तिथि - 17 मार्च 2019 (रविवार)
2. परीक्षा का समय - पूर्वाह्न 10:00 बजे से 01:15 बजे तक
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि - 11.01.2019 (शुक्रवार)
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा - 31.01.2019 (गुरुवार) रात्रि 11:59 बजे तक शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि
4. व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि - 11.03.2019 (सोमवार)
5. परीक्षा केन्द्र - प्रदेश के 27 जिला मुख्यालयों में
6. किसी जिले में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर समीपस्थ अन्य जिले में परीक्षा केन्द्र आबंटित किये जा सकते हैं।
7. पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

3. पटवारी प्रशिक्षण चयन हेतु 250 अभ्यर्थियों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

जिले का नाम	अनारक्षित			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग		
	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग
बिलादाबाजार- भाटापारा	7	3	10	3	1	4	3	1	4	2	0	2	15	5	20
महासमुन्द	8	3	11	1	1	2	1	1	2	3	2	5	13	7	20
दुर्ग	5	2	7	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8	2	10
बमतारा	9	3	12	2	0	2	3	0	3	1	0	1	15	3	18
सजनादगांव	12	5	17	4	1	5	3	1	4	7	2	9	26	9	35
श्रीधाम	2	1	3	2	0	2	1	0	1	3	1	4	8	2	10
बस्तर	7	3	10	1	1	2	0	0	0	0	0	0	8	4	12
बिलासपुर	6	3	9	2	1	3	2	1	3	3	2	5	13	7	20
मुंगेली	3	2	5	1	0	1	2	1	3	1	0	1	7	3	10
कोरवा	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	5
छत्तीसगढ़	5	2	7	2	1	3	2	1	3	5	2	7	14	6	20
जाजगीर-चांपा	17	6	23	5	1	6	7	3	10	5	1	6	34	11	45
बलरामपुर- रामानुजगंज	2	1	3	2	0	2	1	0	1	6	3	9	11	4	15
कोरिया	3	1	4	1	0	1	1	0	1	3	1	4	8	2	10
योग :-	89	36	125	27	7	34	27	9	36	41	14	55	184	66	250

टीप :-

- (1) जिन जिलों में विशेष पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में से आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है, उन जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग में से आरक्षण विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी के लिये मान्य किया जावेगा अर्थात् अनुसूचित जनजाति वर्ग में से विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पद आरक्षित होने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा चयन के समय इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा।
- (2) भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य वर्गों को शासकीय सेवा में दिया जाने वाला आरक्षण/अन्य लाभ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए दिया जावेगा।
- (3) छ.ग.शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ-1-21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितंबर 2014 के प्रावधानानुसार तृतीय श्रेणी में निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिये चिन्हांकित किये गये पदों की सूची के सरल क्रमांक 148 में 'पटवारी' पद को चुनौतीपूर्ण एवं मैदानी कार्य होने के कारण निःशक्तता अमान्य किये जाने के कारण विज्ञापित पदों हेतु दिव्यांग (निःशक्तजन) पात्र नहीं होंगे।
- (4) उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुये ही अर्ह अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जाएगी।



प्रशासन पदा पर चयन/नियुक्तिया माननोय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटि. क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन होंगी।

5. पटवारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता :-

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
- (2) शासकीय/अर्द्ध शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर अर्हता होना चाहिये।
- (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 01 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की (key) डिप्रेसन प्रतिघंटे की गति।

कम्प्यूटर अर्हता हेतु छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किये गये प्रमाण-पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा।

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की छूट की पात्रता होगी।

6. वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेबल-6 का वेतनमान तथा इसके अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में चयन उपरांत एक वर्ष का विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण एवं उसके पश्चात् ली जाने वाली विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पश्चात् पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने पर ही देय होगा।

7. आयु सीमा - दिनांक 01.01.2018 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी, किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

8. निर्देश तथा शर्तें -

1. आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र में उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी होना मान्य किया जाएगा।
2. रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि करने का अधिकार नियोक्ता का होगा।
3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/प्रमाण पत्र, हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां प्रशिक्षण हेतु चयन उपरांत सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
4. ऑनलाइन दर्ज किये गये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेवें। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सैम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें। असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता और चयन किसी भी स्तर पर निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

✓

5. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  6. छ.ग. लोक सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार विज्ञापित पदों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
  7. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।
  8. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
  9. लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए पृथक से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जावेगा।
  10. यह चयन पूर्णतः अस्थायी है, अतएव चयन की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत उनकी नियुक्ति 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
  11. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर ही की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
  12. विज्ञापन की कंडिका-6 में पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में चयन उपरांत एक वर्ष का विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण एवं उसके पश्चात् ली जाने वाली विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पश्चात् पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने पर ही देय होगा।
  13. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 में पटवारी पद पर चयन हेतु उल्लेखित शर्तों की पूर्ति की जाने पर ही नियुक्ति की पात्रता होगी।
9. **परीक्षा पद्धति :** इस परीक्षा में सम्बंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।
  10. **मूल्यांकन पद्धति :** प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

11.

चयन प्रक्रिया : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर अभ्यर्थियों की जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी । प्रत्येक जिले की संयुक्त प्रावीण्य सूची, वर्गवार (OBC, SC, ST, Female, Ex Serviceman) प्रावीण्य सूची विभाग को सौंप जायेगी, जिसके आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् पात्र पाये जाने पर नियोक्ता द्वारा नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जावेगी।

विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाइट [cgvyapam.choice.gov.in](http://cgvyapam.choice.gov.in) पर देखा जा सकता है ।



सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग